बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं०–पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **विभागीय संकल्प संख्या– 2565 दिनांक– 21.12.17 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2018 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 5594.20/– लाख (रूपये पचपन करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2018 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल **रू** 5594.20/– लाख (रूपये पचपन करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार) मात्र की राशि का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा– विषय शीर्ष 34–छात्रवृत्ति/वजीफा(0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन कुल बजट प्रावधान में से रू 5594.20/– लाख (रूपये पचपन करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार) मात्र विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृत राशि के विरूद्व आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या–2565, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

5– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2018 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त उक्त कोटि के निर्धारित अहर्त्ता को पूर्ण करने वाले छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जो वर्ष 2018 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए है, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण–प्रत्र, प्रवेश–पत्र, अंकपत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार संख्या, बैंक अकाउंट की छाया प्रति एवं संबंधित छात्रों की अभिभावक की वार्षिक आय रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार) या रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार) मात्र से कम हो, का आय प्रमाण–पत्र की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एक मुश्त राशि रू 10,000/–(रू दस हजार) मात्र का भुगतान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी राशि की निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में नियमानुसार निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आनेवाले छात्रों को करेंगे। उक्त मेधावृति हेतु व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र) निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808, दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिशचित करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया जाय।

P.T.O.

8– राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.10.18

(प्रेम सिंह मीणा)

सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव 12.10.18

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.10.18

सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव 12.10.18

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव 12.10.18

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 12.10.18

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– – 61 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 12.10.18

manoj2/desktop/sanction 40/yp